भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 607
उत्तर देने की तारीख़: 24.07.2023

विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थानों की कमी

607. श्री रामचरण बोहरा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थानों की कमी है;

(ख) क्या भारत में अध्ययन के लिए कम संख्या में विदेशी छात्र आ रहे हैं जबकि अधिक संख्या में भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन करना पसंद करते हैं;

(ग) क्या देश के वर्तमान विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं, संसाधन और शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ सुभाष सरकार)

(क) जी, नहीं। वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस रैंकिंग) और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (टीएचई रैंकिंग) जैसे वैश्विक रैंकिंग ढांचे में वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। क्यूएस रैंकिंग में, संस्थानों की संख्या क्यूएस - 2014 में 9 से बढ़कर क्यूएस -2024 में 45 हुई है। इसी प्रकार, टीएचई रैंकिंग में रैंक प्राप्त करने वाले संस्थानों की संख्या 2014 में 4 से बढ़कर 2023 में 101 हुई है।

सरकार देश में शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी संख्या में प्रमुख संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जैसे - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालय।

वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली ने क्रमशः ज़ांज़ीबार, तंजानिया और अबू धाबी, यूएई में अपने ऑफशोर परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में वहनीय विश्व स्तरीय शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए बारह संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ख) भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या उन भारतीय छात्रों की तुलना में कम है जो पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। तथापि, उच्च शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों की संख्या 2014-15 में 42,293 से बढ़कर 2020-21 में 48,035 हो गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करता है और समय-समय पर नियम, विनियम और दिशानिर्देश जारी करता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है जो न केवल भारतीय छात्रों को किफायती कीमत पर शीर्ष रैंकिंग वाले विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, बल्कि भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य भी बनाता है। सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में देश में शिक्षा प्रणाली को बदलने की परिकल्पना की गई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलें/सुधार किए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ); बहु-विषयक शिक्षा; इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम; उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना; शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निकास; अकादमिक क्रेडिट बैंकों की स्थापना; संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आदि शामिल हैं।

****